

सी-1/सी-17, खड़ें वृक्ष तथा जड़ी-बूटी के ई-नीलामी के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना।

कोविड-19 के दृष्टिगत सी-1/सी-17, खड़ें वृक्ष तथा जड़ी-बूटी को ई-नीलामी के अंतर्गत विक्रय किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर पर व्यवस्था बनाई जा रही है। इसके अंतर्गत वर्तमान में उपरोक्त विक्रय हेतु मात्र ई-बिडिंग एवं जमानत जमा किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर पर व्यवस्था हुई है। अतः सी-1/सी-17, खड़ें वृक्ष तथा जड़ी-बूटी हेतु विक्रय मूल्य, कर एवं शुल्क आदि देय धनराशियों का जमा किया जाना तथा अग्रेतर कार्यवाही पूर्व की भांति ही स्थानीय स्तर पर सम्बन्धित डिपुओं एवं प्रभागों द्वारा मैनुअल रूप से सम्पन्न की जायेगी। कृपया सम्बन्धित अधिकारी एवं क्रेतागण तदनुसार संसूचित होने का कष्ट करें।